न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:–आव्हाद निवृति सोमनाथ,आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 14/2021 रा0 वाद | दायर दिनांक 02.02.2021 | निर्णय दिनांक 16.08.2024

1. श्रीमती मंजू कंवर पुत्री तख्तसिंह पत्नी गोपालसिंह राजपूत निवासी हाल बापूनगर भीलवाड़ा ..

––वादीया

बनाम

1. ढालसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नारायणसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. लालसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. नरवरसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, भीलवाड़ा तहसील व जिला
5. श्रीमती जसवन्त कंवर पुत्री तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण तहसील व ज़िला भीलवाड़ा भीलवाड़ा
6. श्रीमती बृजकंवर पुत्री तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण जिला भीलवाड़ा तहसील व भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
8. उप–पंजीयक भीलवाड़ा
9. श्रीमती शिल्पा चौधरी पुत्री पराक्रमसिंह जी चौधरी मृतक के कायम मुकाम पति :– 9/1 धर्मेन्द्र पिता देवीलाल जी सूर्या निवासी कोशीथल तहसील–सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 आरटीएक्ट 1955 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सि0प्र0सं0

उपस्थित :–

1. **अधिवक्ता वादीगण :– अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन।**
2. **प्रतिवादी संख्या 9/1 की और से श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना ।**
3. **अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार**

–:: नि र्ण य ::–

इस आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 9/1 धर्मेन्द्र पिता देवीलाल जी सूर्या दिनांक 12–06–2024 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 द्वारा नियम ।। सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 9/1 ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि ग्राम आटूण में स्थित आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा को प्रतिवादी सं. 9/1 की धर्मपत्नी श्रीमती शिल्पा चौधरी पुत्री पराक्रमसिंह चौधरी ने प्रतिवादी सं. । ढालसिंह, प्रतिवादी सं. 3 लालसिंह व प्रतिवादी सं. 4 नवरसिंह राजपूत एवं इनकी माता श्रीमती बुद्धकंवर पत्नी तख्तसिंह जी राजपूत निवासी आटूण से उनका सम्पूर्ण 4/5 हिस्सा दिनांक 24–06–2004 को Registred sale deed द्वारा सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त किया था और प्रतिवादी सं. 2 नारायणसिंह पिता तख्तसिंह जी राजपूत निवासी आटूण से भी उक्त आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा में दर्ज उसका सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा दिनांक 25–06–2004 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त किया था। प्रतिवादी संख्या 9/1 की पत्नी क्रेता शिल्पा चौधरी के देहावसान के पहले व बाद में इस भूमि पर प्रतिवादी सं. 9/1 का आधिपत्य चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को निरस्त करने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को होता है, राजस्व न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है जिससे वादीया का वाद Barred by law होने से माननीय राजस्व न्यायालय में उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से अविलम्ब निरस्तनीय है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिनांक 09–09–2005 को संशोधन किया गया इसके पूर्व पुत्रियां Coparcener नहीं होती थी। इस धारा 6 (1) का प्रोविजो प्रावधान इस प्रकार है " परन्तु इस उपधारा में प्रयुक्त कोई बात किसी विभाजन या सम्पत्ति के वसीयती व्ययन को जो दिनांक 20–12–2004 से पहले हो चुका था, सम्मिलित करते हुए किसी व्ययन या अन्य संक्रामण को अविधिमान्य नहीं करेगी।" इस मामले में दिनांक 20–12–2004 से पूर्व ही दिनांक 24–06–2004 व दिनांक 25–06–2004 को इस भूमि के समस्त रेकार्डेड खातेदारों द्वारा व्ययन रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों द्वारा किया जा चुका था। ऐसे Alieation of Disposition नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि वादीया के भाइयों व माता जो कि जून सन् 2004 में इस भूमि के रेकार्डेड खातेदार थे उन सभी ने इस आराजी सं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का सप्रतिफल रजिस्टर्ड विक्रय क्रेता शिल्पा चौधरी को कर दिया था जिससे इस भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार क्रेता शिल्पा चौधरी में निहित हो गये थे ऐसे विक्रयपत्र व खातेदारी अधिकारों को राजस्व वाद में निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उक्त विक्रय होने के पूर्व वादीया ने कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिये कोई वाद अपने भाइयों व माता के विरूद्ध दायर नहीं किया और उनके द्वारा पंजीबद्ध कराये गये उक्त विक्रयपत्रों को निरस्त कराने के लिये सक्षम सिविल न्यायालय में कोई वाद पेश नहीं किया तो इससे यह उपधारणा ली जाती है कि वादीया ने अपने अधिकार का परित्याग (Waive) कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में वादीया को कोई भी Cause of Action नहीं होता है जिससे Cause of Action के अभाव में वादीया का यह वाद Barred by law होने के कारण निरस्तनीय है।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 व उनकी माता बुद्धकंवर पत्नी तख्तसिंह जी राजपूत के नाम पर संवत् 2065 से 2068 की जमाबंदी में ग्राम आटूण के नया खाता सं. 183 में आराजी किता 26 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि और स्थित है जो पैतृक भूमि है। उस खाते की भूमि में वादीया ने अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिये घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु कोई दावा पेश नहीं किया और केवल आराजी सं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जो कि जून सन् 2004 में ही प्रतिवादी सं. 1 से 4 व उनकी माता बुद्धकंवर ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से शिल्पा चौधरी को सप्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी थी उसके संबंध में ही घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का यह दावा पेश किया है।

प्रतिवादी सं. 9/1 के उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सि०प्र०सं० का वादीया के अधिवक्ता ने कोई जवाब प्रस्तुत न कर इस प्रार्थनापत्र पर सीधे बहस करना चाहा जिससे मामले में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। सबसे पहले वादपत्र में वर्णित तथ्यों का विधिवत पठन व मनन किया जाना आवश्यक है जिससे वादीया के अधिवक्ता को वादपत्र के तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिये कहा गया ।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि ग्राम आटूण में स्थित आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि पूर्व में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पिता तख्तसिंह पिता जोधसिंह जी राजपूत निवासी आटूण के नाम पर दर्ज थी जिनका देहान्त हो गया है। उनकी विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें अकेले उनके पुत्रों प्रतिवादी सं. 1 से 4 डालसिंह, नारायणसिंह, लालसिंह, नरवरसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत एवं पत्नी बुद्धकंवर पत्नी तख्तसिंह जी राजपूत का नाम ही इस भूमि के खाते में दर्ज किया गया जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
मौलवाड़ा

तख्तसिंह जी की विरासत का नामान्तरकरण उनके सभी पुत्रों व पत्नी के साथ–साथ उनकी पुत्रियों वादीया व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम पर भी खोला जाना चाहिये था क्योंकि वे सब तख्तसिंह जी की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से हकदार हैं। इसलिये इस वाद में घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित करायी जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्सा वादीया का एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 का भी 1/7–1/7 हक व हिस्सा दर्ज कराया जावे व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी वाद अनुसार वादीया के पक्ष में पारित करायी जावे । वादीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब में बताया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में किये गये संशोधन के अनुसार मृतक खातेदार तख्तसिंह के पुत्रों के समान ही उनकी पुत्रियों का भी बराबर हक व अधिकार है और प्रतिवादी सं. 1 से 4 व तख्तसिंह जी की पत्नी श्रीमती बुद्धकंवर ने इस भूमि में अपने 1/8 वें हिस्से से अधिक 1/5–1/5 हिस्से का जो विक्रय मृतक प्रतिवादी सं. 9 श्रीमती शिल्पा चौधरी को दिनांक 24–06–2004 व 25–06–2004 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों द्वारा किया है वे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य है जिनको नल एण्ड वोईड घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है ।

वादीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा0दी0 का जवाब एवं लिखित बहस पेश की गई है जो शामिल फाईल है।

प्रतिवादी सं. 9/1 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 व उनकी माता श्रीमती बुद्धकंवर के नाम पर ग्राम आटूण में स्थित आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जिन्होंने दो पंजीकृत विक्रयपत्रों दिनांकित 24–06–2004 व 25–06–2004 द्वारा यह भूमि प्रतिवादी सं. 9/1 की पत्नी श्रीमती शिल्पा चौधरी को सप्रतिफल विक्रय की उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया था जो आज पर्यन्त निरंतर चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को निरस्त करने का माननीय राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होता है। यह अधिकार केवल सिविल न्यायालय को होता है ।

प्रतिवादी सं. 9/1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे यह भी तर्क दिया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन किये गये हैं वे दिनांक 09–09–2005 से लागू किये गये हैं। इसके पूर्व पुत्रियां Coparcener नहीं होती थी। इस अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रोविजो में यह प्रावधान बताया गया कि :–

"Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th Dec. 2004"

परन्तु इस उपधारा में प्रयुक्त कोई बात किसी विभाजन या सम्पत्ति के वसीयती Alieation को जो दिनांक 20–12–2004 से पहले हो चुका था सम्मिलित करते हुए किसी Alieation या अन्य संक्रामण को अविधिमान्य नहीं करेगी।"

इस मामले में दिनांक 20–12–2004 से काफी पहले ही रेकार्डेड खातेदारों द्वारा इस भूमि का श्रीमती शिल्पा चौधरी को रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों द्वारा कर दिया गया था। ऐसे व्ययन को अविधिमान्य नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि वादीया के भाइयों व माता जो कि जून 2004 में इस भूमि के रेकार्डेड खातेदार थे उन सभी ने इस आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा को लाखों रूपयों के प्रतिफल में रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों द्वारा विक्रय शिल्पा चौधरी को कर दिया था जिससे इस भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार शिल्पा चौधरी में निहित हो गये थे व नामान्तस्करण सं. 1304 दिनांक 20–08–2004 को उसके पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया था। ऐसे रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों व खातेदारी अधिकारों को राजस्व वाद में निरस्त नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थी प्रतिवादी सं. 9/1 द्वारा अपने इस प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार किये जाने के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
शेलवाड़ा

(A) 2018 RBJ 287 इस न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – " Daughters are bound by the act of family] property has been transfered and if any member wants to challenge the transfer of land then for cancellation of transfer he has to file suit in civil court He cannot file suit in Revenue Court."

(B) 2002 RRD 414 कौशल्या बनाम रामकरण आदि

इस न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार बेचान के बाद विक्रेता खातेदारों के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस वाद में केवल प्रतिवादी सं. 1 से 4 को पक्षकार बनाकर वाद में उनके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने आराजी नं. 1318 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों तारीखी 24–06–2004 व 25–06–2004 द्वारा क्रेता शिल्पा चौधरी को विक्रय कर दिया था।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद को किसी भी स्थिति में सद्भाविक नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसने केवल एक ही आराजी सं. 1318 के संबंध में ही घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि यह आराजी उसके भाइयों व माता जी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये संशोधनों के लागू होने की दिनांक 09–09–2005 से काफी पूर्व और विशिष्ट तारीख 20–12–2004 के पूर्व ही विक्रय की जा चुकी थी। धारा 6 (1) के प्रोविजो के अनुसार ऐसे विक्रय जो दिनांक 20–12–2004 के पूर्व हो चुके है उनको अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

तख्तसिंह जी के नाम पर जो 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो विरासत से उनके 4 पुत्रों प्रतिवादी सं. 1 से 4 व पत्नी बुद्धकंवर के नाम पर विरासत से दर्ज हुई थी उनमें से आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा को छोड़कर शेष आराजियात में अपना हिस्सा घोषित कराने हेतु कोई वाद वादीया ने प्रस्तुत नहीं किया है जबकि यह भूमि खातेदारों की आपसी सहमति से ढालसिंह, नारायणसिंह लालसिंह नरवरसिंह व बुद्धकंवर के नाम पर अलग–अलग खातों में दर्ज हो गयी थी जिसका वादीया ने कहीं भी चुनौती नहीं दी है।

ऐसी परिस्थिति में वादीया को कोई भी कारणवाद इस आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में उत्पन्न नहीं हुआ है और वादीया अपने भाइयों व माता द्वारा इस भूमि के किये गये विक्रयों से पाबंद है। इन विक्रयपत्रों को सिविल कोर्ट से निरस्त कराने की 3 वर्ष की मियाद भी वर्ष 2007 में समाप्त हो चुकी है ।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम तो यह देखा जाना है कि मृतक खातेदार श्री तख्तसिंह के नाम पर क्या केवल आराजी नं. 1318 ही दर्ज थी। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के परीक्षण से भली भांति प्रकट होता है कि तख्तसिंह के नाम पर संवत् 2053 से 2056 की जमाबंदी में इस आराजी सं. 1318 सहित कुल 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो नामान्तरकरण सं. 1075 दिनांक 16–12–1995 से विरासत से तख्तसिंह पिता जोधसिंह के बजाय ढालसिंह, नारायणसिंह, लालसिंह, नरवरसिंह पिता तख्तसिंह व बुद्धकंवर पत्नी तख्तसिंह के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई जिससे स्पष्ट है कि वादीया ने अपने भाइयों प्रतिवादी सं. 1 से 4 व माता श्रीमती बुद्धकंवर द्वारा लाखों रूपयों में प्रतिवादी सं. 9 को विक्रय की गयी आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में ही यह वाद प्रस्तुत किया है जिसे किसी भी अवस्था में सद्भाविक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अगर वादीया को वास्तव में अपने स्व. पिता की भूमि जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के नाम पर दर्ज हो गयी थी तो वादीया को चाहिये था कि उस सारी 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि के संबंध में वादपत्र पेश कर अपने हक अधिकारों का विनिश्चय करवाती लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। उसने अपनी माता व भाइयों द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सन् 2005 में किये गये संशोधनों के लागू होने के पूर्व ही सप्रतिफल विक्रय की जा चुकी भूमि आराजी सं. 1318 के संबंध में ही यह वादपत्र पेश किया है जो दुर्भावनापूर्ण है ।

Ghad
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 RBJ 287 शांतिदेवी बनाम जलसिंह में माननीय राजस्व मंडल की खण्ड पीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि –

"Daughters are bound by the act of family property has been transfered and if any member wants to challenge the transfer of land then for cancellation of transfer he has to file suit in civil court - He cannot file suit in Revenue Court."

इसके अलावा प्रतिवादी अधिवक्ता ने हमारा ध्यान हिन्दु उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) में उल्लेखित परन्तुक (Proviso) की ओर दिलाया जिसमें यह प्रावधान बताया गया है कि –

"Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004"

Judgment of the Hon'ble High Court, the principle laid down by the Supreme Court in the case of Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, has been further explained and interpreted. It is held that for the application and benefit of the Amendment Law, daughter need not be alive on 9th September, 2005.

The Development of Law -

Thus, the development of law started with three requirements - in Prakash v. Phulavati as -

(a) Father should be alive on 9th September, 2005;
(b) Daughter should be alive on 9th September 2005; and
(c) Property must be available on 9th September 2005.

In Danamma v. Amar, two requirements were laid down as -

(a) Daughter must be alive on 9th September, 2005;
(b) Property must be available on 9 ^ (th) September, 2005.

In Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma -
(a) Daughter must be alive on 9 ^ (th) September, 2005;
(b) Property must be available on 9 ^ (th) September, 2005.

However, in the light of aforesaid Judgment of High Court in the case of Hosamani v. Hadimani, the only requirement is, 'Property must be available on 9th September, 2005'. Thus, father need not be alive and further daughter need not be alive on 9th September 2005. As such, in the daughter died before 9th Septmber, 2005 her heirs will be ented to the benefits of the Amendment.

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाडा के सिविल वाद संख्या /2014 वाद बाबत अवैध एवं शून्य घोषित कराये जाने विक्रयपत्र दिनांकित 29.10. 10 व 11.11.2010 उनवान प्रकरण श्रीमती दाखी खटीक वगैरहा बनाम श्यामलाल टीक वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2024 विधिक दृष्टांत अनुसार :– इस द प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 09 ने रेकार्डेड खातेदारों से जीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.06.2004 व 25.06.2004 के ज़रिये पूर्ण प्रतिफल कर आराजी क्रय की है। जिससे वादीया के वादपत्र के अन्तर्गत विक्रय पत्र को वैध, शून्य एवं अप्रभावी घोषित नहीं किया जा सकता है।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि दिनांक 20–12–2004 के पूर्व सम्पत्ति का जो व्ययन हस्तान्तरण या विभाजन हो गया हो तो उनको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी स्वयं वादीया की माता व भाइयों ने दिनांक 20–12–2004 के काफी पूर्व दिनांक 24–06–2004 व 25–06–2004 को ग्राम आटून में स्थित आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का पंजीकृत विक्रयपत्रों द्वारा सप्रतिफल हस्तान्तरण प्रतिवादी सं. 9 श्रीमती शिल्पा चौधरी को कर दिया गया था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन किये गये हैं वे दिनांक 09–09–2005 से लागू किये गये हैं। इसके पूर्व पुत्रियां Coparcener नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त Observations के म द्देनजर यह साबित माना जाता है कि वादीया को यह वाद पेश करने का कोई Cause of Action ही उत्पन्न नहीं होता है और उक्त कानूनी दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पंजीकृत विक्रयपत्रों को निरस्त या शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र निरस्त होने योग्य ठहरता है।

प्रतिवादी सं. 9/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत Cause of Action नहीं होने एवं against the law होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14/2021 रा0 वाद	02.02.2021	16.08.2024

श्रीमती मंजू कंवर पुत्री तख्तसिंह पत्नी गोपालसिंह राजपूत निवासी हाल बापूनगर भीलवाड़ा

––वादीया

बनाम

1. ढालसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नारायणसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. लालसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. नरवरसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण, भीलवाड़ा तहसील व जिला
5. श्रीमती जसवन्त कंवर पुत्री तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. श्रीमती बृजकंवर पुत्री तख्तसिंह राजपूत निवासी आटूण जिला भीलवाड़ा तहसील व भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
8. उप–पंजीयक भीलवाड़ा
9. श्रीमती शिल्पा चौधरी पुत्री पराक्रमसिंह जी चौधरी मृतक के कायम मुकाम पति :–
9/1 धर्मेन्द्र पिता देवीलाल जी सूर्या निवासी कोशीथल तहसील–सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 आरटीएक्ट 1955 में
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सि0प्र0सं0

उपस्थित :–
1. अधिवक्ता वादीगण :– श्री श्रवण कुमार सेन।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9/1 की और से श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना ।
3. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार

वादी की और से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बपाना व श्री विपूल बापना उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादीगण संख्या 09/1 की और से श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाडा के सिविल वाद संख्या [illegible]/2014 वाद बाबत अवैध एवं शून्य घोषित कराये जाने विक्रयपत्र दिनांकित 29.10.2010 व [illegible].11.2010 उनवान प्रकरण श्रीमती दाखी खटीक वगैरहा बनाम श्यामलाल खटीक वगैरहा में [illegible] निर्णय दिनांक 18.07.2024 विधिक दृष्टांत अनुसार :– इस वाद प्रकरण में वादग्रस्त [illegible]जियात को प्रतिवादी संख्या 09 ने रेकार्डेड खातेदारों से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक [illegible].06.2004 व 25.06.2004 के जरिये पूर्ण प्रतिफल देकर आराजी क्रय की है। जिससे वादीया [illegible] वादपत्र के अन्तर्गत विक्रय पत्र को अवैध, शून्य एवं अप्रभावी घोषित नहीं किया जा सकता [illegible]।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि दिनांक 20–12–2004 के पूर्व सम्पत्ति का जो व्ययन न्तरण या विभाजन हो गया हो तो उनको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण ी स्वयं वादीया की माता व भाइयों ने दिनांक 20–12–2004 के काफी पूर्व दिनांक 06–2004 व 25–06–2004 को ग्राम आटूण में स्थित आराजी नं. 1318 रकबा 10 बीघा बिस्वा का पंजीकृत विक्रयपत्रों द्वारा सप्रतिफल हस्तान्तरण प्रतिवादी सं. 9 श्रीमती शिल्पा ी को कर दिया गया था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन किये गये दिनांक 09–09–2005 से लागू किये गये हैं। इसके पूर्व पुत्रियां Coparcener नहीं होती ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त Observations के मद्देनजर यह साबित माना जाता है कि ा को यह वाद पेश करने का कोई Cause of Action ही उत्पन्न नहीं होता है और कानूनी दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पंजीकृत विक्रयपत्रों को निरस्त या घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र त होने योग्य ठहरता है।

प्रतिवादी सं. 9/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सि. स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत Cause of Action नहीं होने एवं against law होने से खारिज किया जाता है।

Ahad .

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा